

न्यायालय—सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

आप. प्रक. क.—201/2010
 संस्थित दिनांक—15.03.2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बिरसा
 तहसील—बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

1. मेहतरु पिता रामप्रसाद बघेल आयु 32 वर्ष, जाति—तेली
 साकिन बखारीकोना, थाना बिरसा,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2. राम प्रसाद पिता परदेशी, आयु 64 वर्ष, जाति तेली
 साकिन बखारीकोना थाना बिरसा,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक—30/07/2014 को घोषित)

1— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—341, 294, 327/34, 323/34, 506 (भाग—2) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—27.02.2010 को रात्रि करीब 8:00 बजे स्थान ग्राम बखारीकोना, थाना बिरसा जिला बालाघाट अंतर्गत पटले किराना दुकान के सामने फरियादी बालचंद राहगडाले का रास्ता रोककर उस दिशा में जिस दिशा में जाने का उसे अधिकार था, निवारित कर सदोष अवरोध कारित कर लोक स्थान या उसके समीप फरियादी को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर फरियादी व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में फरियादी बालचंद को 500/-रुपये अवैध रूप से दिए जाने हेतु मजबूर करने के प्रयोजन से स्वैच्छया उपहति कारित की तथा आहत संतोष को डंडे से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित कर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—27.02.2010 को रात्रि करीब 8:00 बजे स्थान पटले किराना दुकान के पास ग्राम बखारीकोना, थाना

बिरसा जिला बालाघाट अंतर्गत फरियादी बालचंद अपने भांजे के यहाँ से बैल खरीदकर पैदल हाकते हुए अपने गांव जा रहा था तो आरोपी मेहतरू ने रास्ता रोककर उसे माँ-बहन की गन्दी-गन्दी गलियां दी और कहा कि पाँच सौ रुपये देगा तभी यहाँ से जाने दूँगा, फरियादी द्वारा पैसा देने से मना किये जाने पर आरोपीगण ने उससे कहा कि यहाँ से बैल लेकर जा रहे हो पैसा देना पड़ेगा कहकर फरियादी को जमीन पर पटक दिये और लात-घुसे से मारपीट किये, घटना स्थल पर बाबूलाल तथा मनोज पटले ने आकर बीच-बचाव किये, उक्त घटना से डर कर फरियादी बैल को वहीं छोड़कर भाग गया था, तथा गाँव वालों को उक्त घटना की जानकारी दी गई। फरियादी घटना के दूसरे दिन दिनांक-28/02/2010 को अपने भतीजा संतोष तथा लडका अनिल के साथ बैल ढुंढते हुए घटना स्थल पर गया तो आरोपीगण ने फरियादी से पूछे की पैसा लाये हो क्या, फरियादी द्वारा पैसा नहीं है बोले जाने पर आरोपीगण ने फरियादी को हाथ-मुक्के से मारपीट किये बीच-बचाव करने उसका भतीजा संतोष आया तो आरोपीगण ने उसे डंडे से मारपीट किये और गला दबाने लगे। घटना समय अनिल मरकाम तथा भिवराम ने आकर बीच-बचाव किये थे। फरियादी द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना बिरसा में दर्ज करवायी गई। पुलिस ने फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-22/10, धारा-341, 294, 327, 323, 506 भा.द.वि. पंजीबद्ध किया गया। आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण करवाया। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये, आरोपीगण को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3- आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-341, 294, 327/34, 323/34, 506 (भाग-2) के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 का द.प्र.सं. के अर्न्तगत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना प्रकट किया गया। आरोपीगण के द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-27.02.2010 को रात्रि करीब 8:00 बजे स्थान ग्राम बखारीकोना, थाना बिरसा जिला बालाघाट अंतर्गत पटले किराना दुकान के सामने फरियादी बालचंद राहंगडाले का रास्ता रोककर उस दिशा में जिस दिशा में जाने का उसे अधिकार था, निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया?

2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप फरियादी को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?

3. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर सह आरोपी के साथ सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में फरियादी बालचंद को 500/- रुपये अवैध रूप से दिए जाने हेतु मजबूर करने के प्रयोजन से स्वैच्छया उपहति कारित की ?

4. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर सह आरोपी के साथ सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत संतोष को डंडे से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की ?

5. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5- फरियादी बालचंद (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना लगभग डेढ साल पूर्व रात के 8 बजे की है वह बैल हाकते हुए अपने घर आ रहा था तो रास्ते में उसे आरोपी मेहतरू मिला और बैल के पैसे मांगने लगा और कहने लगा कि तेरी दाई की ऐसी की तैसी पैसे नहीं देता, जो उसे सुनने में बुरी लगी। आरोपी ने उसे पटक दिया, जिससे उसे हाथ और गले में चोट आयी थी। घटना होते हुए अनिल और संतोष ने भी देखे थे। वह घटना स्थल से घर गया और फिर वहाँ से थाने रिपोर्ट करने गया जहाँ उसने आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 दर्ज किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका मुलाहिजा करवाया था और उसकी निशानदेही पर मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान ली थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी मेहतरू को ग्राम पंचायत द्वारा बैलों की खरीदी एवं बिक्री के संबंध में टैक्स स्वरूप चालान काटने की सहमति दी गई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह बैल को खरीदकर ला रहा था तो आरोपी ने चालान पर्ची के संबंध में पूछताछ की थी तो उसके पास घटना के समय चालान पर्ची नहीं थी। साक्षी के कथन का बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में महत्वपूर्ण रूप से खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी ने रिपोर्ट एवं पुलिस कथन के अनुरूप सम्पूर्ण तथ्यों के संबंध में साक्ष्य पेश नहीं की है। यद्यपि साक्षी ने अभियोजन मामले का इस सीमा तक समर्थन किया है कि आरोपी मेहतरू ने घटना के समय उसके साथ मारपीट की थी।

6- आहत संतोष राहंगडाले (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण तथा फरियादी को जानता है। घटना इसी वर्ष असाढ़ माह के शाम के समय की है। उसके चाचा बालचंद बैल लेकर आ रहे थे तो रास्तों में

आरोपीगण मिले थे और कहने लगे कि बैल की रसीद दिखाओ तो उसके चाचा ने कहा कि रसीद नहीं है तो आरोपीगण ने बैल को पकड़कर बाँध लिये थे, उसके चाचा ने गाँव के लोगों को बताया और उसे कहा कि बैल लेकर आते हैं तो फिर वह जाकर आरोपीगण से कहा कि परिचय के आदमी होकर बैल रख लिए हो बैल वापस करो तो आरोपीगण ने उन लोगों को तेरी माँ को चोदू, बहन को चोदू की गालियाँ दिये थे, जो सुनने में बुरी लग रही थी। आरोपीगण ने उसके चाचा के गले में जो गमछा था उसे पकड़कर खींचते हुए उसके चाचा को गिरा दिए थे और उसे पैर पर डंडे से मारे थे, जिससे उसे चोट आयी थी। गाँव के आस-पास के लोग दौड़े और कहा कि रिपोर्ट कर दो तो थाने जाकर रिपोर्ट किये थे। साक्षी ने आगे यह कथन किया है कि मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 थाने में उसके सामने बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका मुलाहिजा करवाया था तथा पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को बयान देते समय यह नहीं बताया था कि आरोपीगण के द्वारा गालियाँ दी गई थी। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से इस तथ्य का खण्डन नहीं किया गया है कि घटना के समय आरोपीगण ने फरियादी बालचंद को रोक कर गाली-गलौच करते हुए उसके साथ मारपीट की थी।

7— अनिल कुमार राहंगडाले (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण तथा फरियादी को जानता है। फरियादी उसके पिता हैं। घटना ढाई साल पूर्व दोपहर के 1-2 बजे की है, उसके पिता ने उसे बताया था कि वह अपने भांजे के यहाँ से बैल लेकर आ रहे थे तो आरोपीगण ने रास्ते में रसीद दिखाओ कहकर बैल बांध लिये थे फिर वह अपने छोटे भाई तथा पिता के साथ वापस गये तो आरोपी रामप्रसाद ने उसके पिता को पटक दिया था, जिससे उसके पिता के कोहनी में चोट आयी थी और उसके भाई के साथ लामा-झूमी करने लगे लगा था, जिससे उसके भाई के गले में खरोंच आयी थी। बाद में उसके पिता के भांजे ने रसीद लेकर आया था तब बैल छुड़ाकर ले गये। साक्षी ने उसके भाई और पिता के साथ आरोपी के पास वापस जाने पर आरोपी के द्वारा उसके पिता और भाई को मारपीट करने के संबंध में किये गये कथन का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने आरोपीगण द्वारा बालचंद एवं संतोष को मारपीट कर उपहति कारित करने की पुष्टि अपनी साक्ष्य में की है।

8— आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक डाक्टर एन. मेश्राम (अ.सा.10) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-28/02/2010 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बिरसा के आरक्षक किरण क्रमांक-820 द्वारा आहत संतोष पिता रामप्रसाद तथा बालचंद पिता तुलाराम को चिकित्सीय परीक्षण हेतु उसके

समक्ष लाया गया था। उसके द्वारा आहत संतोष का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, जिसमें उसने आहत के गर्दन के दाहिने भाग पर एक खरौंच तथा बांये घुटने पर एक सूजन पाया था। उसके मतानुसार उक्त आहत को आयी चोट किसी कड़े एवं खुरदरे वस्तु से आना संभावित थी, उक्त चोटे साधारण प्रकृति की थी। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आहत बालचंद का भी चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, जिसमें आहत के बांयी कोहनी के बाहरी भाग पर एक खरौंच पाया था। उसके मतानुसार उक्त आहत को आयी चोटे किसी कड़े एवं खुरदरे वस्तु से आना संभावित थी, उक्त चोटे साधारण प्रकृति की थी। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने अपने चिकित्सीय अभिमत में इस तथ्य की पुष्टि की है कि घटना के समय आहत बालचंद एवं संतोष को साधारण उपहति कारित हुई थी।

9— अभियोजन की ओर से अन्य साक्षीगण अनिल मरकाम (अ.सा.3), लखन टेम्भरे (अ.सा.5), मनोज (अ.सा.6), बाबूलाल (अ.सा.7), पवनलाल (अ.सा.8), भीवराम (अ.सा.9) ने अपने मुख्यपरीक्षण में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है तथा पक्ष विरोधी घोषित होने पर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उन्होंने घटना के संबंध में उनके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। इस प्रकार उक्त साक्षीगण ने अभियोजन मामले का अपनी साक्ष्य में समर्थन नहीं किया है।

10— सुरेश विजयवार (अ.सा.11) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-28/10/2010 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थी बालचंद राहंगडाले द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी, जिस पर उसके द्वारा अपराध क्रमांक-22/2010, धारा-341, 294, 327, 323, 506(भाग-दो) भा.द.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 पंजीबद्ध किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। अपराध कायमी के पश्चात् उसके द्वारा प्रार्थी बालचंद एवं संतोष का मुलाहिजा फार्म भरकर चिकित्सीय परीक्षण हेतु आरक्षक किरण क्रमांक-820 के माध्यम से शासकीय अस्पताल बिरसा भेजा था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने एवं आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण करवाये जाने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।

11— अनुसंधानकर्ता अधिकारी रामकिशोर मात्रे (अ.सा.11) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-01/03/2010 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक-22/10 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 विवेचना हेतु प्राप्त हुआ था। विवेचना के दौरान

उसके द्वारा साक्षियों की निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा प्रार्थी बालचंद, साक्षी संतोष एवं दिनांक-03/03/2010 को साक्षी लखनलाल, पवन के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। उसके द्वारा दिनांक-04/03/2010 को आरोपी मेहतरू से साक्षियों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-9 के अनुसार एक बॉस का डंडा जप्त किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही आरोपीगण को गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-10 एवं प्रदर्श पी-11 के अनुसार गिरफ्तार किया गया था। दिनांक-05/03/2010 को साक्षी भिवराम, अनिल, मनोज, बाबूलाल एवं दिनांक-12/03/2010 को साक्षी अनिल के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का खण्डन न किये जाने से साक्षी के द्वारा मामले में की गई सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

12— मामले में प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य में आरोपी के द्वारा किन शब्दों के माध्यम से गाली-गालौच की गई और कथित शब्दों के उच्चारण से फरियादी व अन्य लोगों को सुनने में बुरा लगा, इसके संबंध में स्पष्ट साक्ष्य पेश नहीं की गई है। महत्वपूर्ण साक्षीगण द्वारा आरोपीगण के कथित अश्लील शब्दों के उच्चारण करने के संबंध में परस्पर विरोधाभासी कथन किये गये हैं तथा यह भी प्रकट नहीं किया है कि कथित अश्लील शब्दों या गाली-गालौच से उन्हें किसी प्रकार का क्षोभ कारित हुआ। मामले में फरियादी बालचंद (अ.सा.1) एवं अन्य चक्षुदर्शी साक्षीगण ने कथित गाली-गालौच किये जाने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट व पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश नहीं की हैं। इसी प्रकार आरोपीगण के द्वारा घटना के समय फरियादी का रास्ता रोकने एवं उसको जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में भी किसी साक्षी ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट तथ्य प्रकट नहीं किया है। अभियोजन के किसी भी साक्षी ने अपनी साक्ष्य में यह भी प्रकट नहीं किया है कि आरोपीगण ने फरियादी बालचंद को रुपये की अवैध रूप से मांगकर उसे मजबूर करने के प्रयोजन से मारपीट की। इस प्रकार अभियोजन ने यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया गया है कि आरोपी ने घटना के समय तथाकथित अश्लील शब्दों का उच्चारण कर फरियादी व दूसरों को क्षोभ कारित किया, सदोष अवरोध कारित किया एवं फरियादी बालचंद को 500/- रुपये अवैध रूप से दिए जाने हेतु मजबूर करने के प्रयोजन से स्वैच्छया उपहति कारित कर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

13— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत फरियादी व आहत बालचंद (अ.सा.1) संतोष (अ.सा.2) की साक्ष्य का समर्थन चक्षुदर्शी साक्षीगण अनिल (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में किया है। आहत बालचंद (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में केवल आरोपी मेहतरू के द्वारा मारपीट किये जाने का समर्थन किया है। यद्यपि शेष साक्षीगण आहत संतोष

(अ.सा.2) एवं चक्षुदर्शी साक्षी अनिल (अ.सा.4) ने दोनों आरोपीगण के द्वारा मारपीट कर आहत संतोष एवं बालचंद को उपहति कारित किये जाने के कथन किये हैं। अभियोजन मामला आरोपीगण के द्वारा आहतगण बालचंद एवं संतोष को मारपीट किये जाने का है। आहत बालचंद एवं संतोष को आई चोटों का समर्थन चिकित्सीय साक्षी ने भी अपनी साक्ष्य में किया है। ऐसी दशा में उक्त सभी साक्षीगण की साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि घटना के समय दोनों आरोपीगण ने आहतगण को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में उक्त आहतगण को मारपीट कर उपहति कारित की। आरोपीगण के द्वारा उक्त आहतगण को मारपीट किये जाते समय उन्हें चोट पहुंचाये जाने का आशय रखते हुए इस संभावना को जानते थे कि उनके कृत्य से आहतगण को निश्चित ही उपहति कारित होगी। अतएव आरोपीगण के द्वारा उक्त मारपीट का कृत्य आहतगण को स्वैच्छया उपहति कारित करने की श्रेणी में आता है।

14— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण साक्षीगण आहत बालचंद (अ.सा.1) एवं संतोष (अ.सा.2) के कथनों में आरोपीगण के द्वारा कथित गाली-गलौच किये जाने के संबंध में परस्पर विरोधाभास है तथा उनके द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि आरोपीगण ने घटना के समय फरियादी को कथित अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उन्हें किसी प्रकार से क्षोभ कारित किया गया। इसी प्रकार आरोपीगण के द्वारा फरियादी का रास्ता रोकने एवं उसे निश्चित दिशा में जाने से निवारित करने के संबंध में भी विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं की गई है। आरोपीगण के द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में भी किसी साक्षी ने कथन नहीं किया है।

15— आरोपीगण ने मिलकर आहतगण को स्वैच्छया उपहति कारित की है। यद्यपि आरोपीगण के विरुद्ध आहत बालचंद को स्वैच्छया उपहति कारित करने हेतु पृथक् से आरोप विरचित नहीं किया गया है, किन्तु आहत बालचंद को अवैध रूप से पैसे की मांग को लेकर मजबूर करने के प्रयोजन से स्वैच्छया उपहति कारित करने का आरोप आरोपीगण पर विरचित किया गया है। आरोपीगण के विरुद्ध आहत बालचंद को अवैध रूप से पैसे की मांग को लेकर मजबूर करने के प्रयोजन से स्वैच्छया उपहति करने की साक्ष्य पेश नहीं है। यद्यपि आरोपीगण के द्वारा आहत संतोष के साथ-साथ आहत बालचंद को भी स्वैच्छया उपहति कारित किया जाना प्रमाणित है। ऐसी दशा में आरोपीगण को आहत बालचंद को स्वैच्छया उपहति कारित करने हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा-327/34 के स्थान पर धारा-323/34 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाना उचित होगा।

16— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपीगण ने घटना के

समय तथाकथित अश्लील शब्दों का उच्चारण कर फरियादी व दूसरों को क्षोभ कारित किया, सदोष अवरोध कारित किया एवं फरियादी बालचंद को 500/- रुपये अवैध रूप से दिए जाने हेतु मजबूर करने के प्रयोजन से स्वैच्छया उपहति कारित कर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। यद्यपि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर सह आरोपी के साथ सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत बालचंद एवं संतोष को डंडे से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-341, 294, 327/34 एवं 506 भाग-2 के अंतर्गत दोषमुक्त कर भारतीय दण्ड संहिता धारा-323/34 (दो काउंट) के अपराध के अन्तर्गत दोष सिद्ध ठहराया जाता है।

17- आरोपीगण को अपराध की प्रकृति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया जाता है।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,

पश्चात्-

18- आरोपीगण की ओर से निवेदन किया गया है कि उनके विरुद्ध किसी अपराध में पूर्व दोष सिद्धि का प्रमाण नहीं है तथा वे प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होते रहे हैं। अतः उन्हें केवल अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर छोड़ा जावे।

19- आरोपीगण के विरुद्ध पूर्वदोषसिद्धि का प्रमाण नहीं है। आरोपीगण के द्वारा प्रकरण में वर्ष 2010 से विचारण का सामना किया जा रहा है, जिसमें वे नियमित रूप से उपस्थित होते रहे हैं। प्रकरण की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपीगण को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतः आरोपीगण को आहत बालचंद एवं संतोष को स्वैच्छया उपहति कारित किये जाने हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323/34 (दो काउंट) के अन्तर्गत प्रत्येक आहत 1000-1000/- (एक-एक हजार) रुपये अर्थात् प्रत्येक आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323/34 (दो काउंट) के अन्तर्गत 2000/- (दो हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323/34 (दो काउंट) के अन्तर्गत आरोपीगण को एक-एक माह का सादा कारावास पृथक से भुगताया जावे।

20- आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

21- आरोपीगण मामले में न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहा है, इसके संबंध में

धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रथक से प्रमाण-पत्र तैयार किया जावे।

22— प्रकरण में जप्तशुदा बॉस का डंडा मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)